**FORM NO.III**
**फर्द अहकाम**
**( नियम 26)**
**अज अदालत :– जिला कलक्टर पाली**

प्रार्थीगण:–
हीराराम पुत्र वरदाजी, जाति माली, निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–
1. पनाराम पुत्र गेनाजी, जाति माली, निवासी बाली, तहसील बाली जिला पाली(राज.)
2. तहसीलदार, बाली जिला पाली

राजस्व विविध 79 /2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/214
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13/04/22 | अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2021 बअनवान हीराराम बनाम पनाराम वगैरह को अन्य समकक्ष न्यायालय मे स्थानान्तरित करवाने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे तथा प्रार्थना पत्र की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली को प्रेषित कर पेरावाईज टिप्पणी के साथ जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण की मूल पत्रावली तलब कर पत्रावली दिनांक 19/05/2022 को पेश हो।<br>जिला कलक्टर, पाली | 785, 26<br>13/04/22 |
| 19/05/22 | अप्रार्थी (1) की ओर से अधि. श्री लक्ष्मण के चौधरी ने वकालतनामा पेश किया जिसके नाम जारी नोटिस बाद ता. प्राप्त जो शा. कि. किये।<br>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दि. 07/07/22 को पेश हो। | |
| 07/07/22 | पत्रावली पेश हुई। अति. जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली से पैरावाईज टिप्पणी अप्राप्त। पुनः पत्र जारी होकर पत्रावली दि. 19.07.22 को पेश हो।<br>जिला कलक्टर, पाली | |
| 19/7/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. जो इस प्रा.प. आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं notpress किया है। अतः प्रा.प. जरिए notpress खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>जिला कलक्टर, पाली | Not Press |